THE MADHYA PRADESH STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (M.P. GOVT. UNDERTAKING)
HEAD OFFICE : "PANCHANAN" 3rd FLOOR, MALAVIYA NAGAR, BHOPAL- 462003
Phone (0755) - 2551652, 2551756, 2551807 Fax: 0755-2557305 E-Mail : mpagrohobpl@gmail.com
Website : www.mpstateagro.org **(CIN NO. U01119MP1969SGC001055)**
M P AGRO

मुख्या / विपणन / T.D. IMP - 10 (P-II) / 2024–25 / 3075 दिनांक : 27.11.2024
29

प्रति,

क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),
जिला प्रबंधक (समस्त),
....

विषय : ट्रेक्टर / पावर चलित कृषि यंत्रों की दरों का प्रसारण।
संदर्भ : (01) परिपत्र क0 मुख्या / विपणन / T.D. IMP - 10 (P-II) / 2024–25 / 1125 दिनांक 04.07.2024
(02) परिपत्र क0 मुख्या / विपणन / T.D. IMP - 10 (P-II) / 2024–25 / 2865 दिनांक 14.11.2024
(03) मुख्या / मार्केटिंग / T.D. IMPLIMENT / 2024–25 / 2965 दिनांक 22.11.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से निम्नलिखित प्रदायक की ट्रेक्टर / पावर चलित कृषि यंत्रों की दरों का प्रसारण जारी किया गया था :–

01	**M/S TIRTH AGRO TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED,** Survey No. 108/1, Plot No. B, NH-27, Nr. Bharudi Toll Plaza, Bhunava (Village), Taluka Gondal, Distt. Rajkot (GUJARAT) **E-mail : info@shaktimanagro.com** फोन +91 (02827) 234567, 270537 +91 (02827) 270457	कम्पनी द्वारा अपने अधिकृत डीलर मेसर्स राठी एण्ड कम्पनी, विदिशा को कम्पनी की ओर से आदेश प्राप्त करने, सामग्री प्रदासय करने, देयक जारी करने, भुगतान प्राप्त करने एवं सर्विस उपलब्ध कराने (प्रदायगी एवं भुगतान से संबंधित समस्त कार्य) हेतु अधिकृत किया गया है।

उक्त निर्माता द्वारा निगम के माध्यम से ट्रेक्टर / पावर चलित कृषि यंत्रों के प्रदाय हेतु दरें प्रस्तुत की गयी है, जो पत्र के साथ संलग्न है। कृपया इस परिपत्र को पूर्व में प्रसारित संदर्भित पत्रों का भाग मानते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : प्रदायक की कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी), अन्य व्यय, परिवहन / निरीक्षण शुल्क सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन पर पहुंचाकर हैं। उपरोक्त सभी यंत्र संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी में पंजीकृत तथा टेस्टेड हैं। यदि समय–समय पर प्रदाय कम्पनी द्वारा कृषि अभियांत्रिकी विभाग में दरों अथवा ट्रेक्टर के मॉडलों एवं कृषि यंत्रों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो निर्माता कम्पनी द्वारा उसकी सूचना से आवश्यक रूप से एम.पी.एग्रो मुख्यालय को अवगत कराया जावेगा। जिला प्रबंधक का दायित्व होगा कि वे निगम की विकय दरों से उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत करावें एवं निगम के पक्ष में आदेश प्राप्त करें।

2. **दरों का निर्धारण** : निगम द्वारा दरों का निर्धारण नहीं किया गया है, अपितु निर्माता द्वारा प्रस्तुत दरों को ही निगम द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। निर्माता जो निगम के माध्यम से अपने यंत्रों को उपभोक्ताओं को विकय करना चाहते हैं, उनसे निर्धारित शर्तो पर अनुबंध निष्पादित किया गया है।

3. **शासकीय अनुदान** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं रहेगी। एम.पी.एग्रो की जवाबदेही मात्र उन्हीं प्रकरणों में रहेगी जिसमें सामग्री एम.पी.एग्रो के माध्यम से कृषक को प्रदायगी की जावेगी एवं कृषक अंश राशि एम. पी.एग्रो के खाते में प्राप्त होगी। यदि कृषक द्वारा सीधे कम्पनी से सामग्री कय की जाती है एवं कृषक अंश राशि सीधे कम्पनी के खाते में भुगतान की जाती है तो एम.पी.एग्रो की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

......2

4. **आदेश की प्रकिया** : उद्यानिकी विभाग/कृषि विभाग/अन्य विभाग से प्राप्त मांग एवं मांग में अनुशंसित प्रदायक/निर्माता कम्पनी तथा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए निगम के जिला प्रबंधक संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक को आदेश हेतु मांग अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में प्रदाय आदेश जारी किया जावेगा। यदि विभाग द्वारा सीधे मुख्यालय को मांग प्रेषित की जाती है तो प्रदाय आदेश मुख्यालय द्वारा जारी किये जावेंगे।

(अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

5. **सामग्री की प्रदायगी** – सामग्री की प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(1) प्रदायक द्वारा निगम के आदेशानुसार अधिकतम 15 दिवस के अंदर सामग्री प्रदाय करनी होगी। प्रदायक द्वारा उचित कारण दिये जाने पर यह समय–सीमा बढ़ाई भी जा सकती है ।

(2) आदेशित सामग्री का प्रदाय केता विभाग को करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का पोस्ट डिलेवरी इंस्पेक्शन निगम द्वारा अनुमोदित थर्डपार्टी इन्सपेक्शन एजेन्सी से काराया जाना अनिवार्य है। तदोपरांत निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र जारी किये जावेंगे।

(3) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में मय पावती, संतुष्टि एवं थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, जियोटेगिंग फोटोग्राफ भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किये जावेंगे।

(4) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

6. **समय सीमा में सामग्री प्रदाय न करने पर शास्ति (पेनाल्टी)** – प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में निम्नानुसार शास्ति (पेनाल्टी) अधिरोपित की जावेगी :–

क्र.	सप्ताह	शास्ति (पेनाल्टी) की दर कुल प्रदायगी की राशि पर
1	प्रथम से द्वितीय सप्ताह तक	0.25% प्रति सप्ताह
2	तृतीय से चतुर्थ सप्ताह तक	0.50% प्रति सप्ताह
3	प्रदायक द्वारा प्रदाय से मना किये जाने की स्थिति में	प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त करते हुए उनके द्वारा किये गये अनुबंध को बरखास्त करते हुए 1 से 5 वर्ष के लिए कालीसूची (ब्लेकलिस्ट) किया जावेगा।

7. **सामग्री की गुणवत्ता** – एम.पी.एग्रो के माध्यम से विभाग/कृषकों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निर्माता द्वारा प्रस्तुत स्पेसिफिकेशन एवं दर सूची अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो अनुबंध में उल्लेखित शर्तों अनुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सूचना मुख्यालय को जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा दी जावेगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

8. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, जियोटेगिंग फोटोग्राफ आदि के साथ निगम को पूर्ण राशि (कृषक अंश + अनुदान राशि) प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक/मुख्यालय द्वारा किया जावेगा।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, किसी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **सामग्री की वारण्टी** : प्रदायक द्वारा सभी यंत्रों पर वारण्टी समयावधि में रिपेयर मेन्टेनेंस का कार्य निम्नानुसार किया जावेगा। रिपेयर मेन्टेनेंस का कार्य कम्पनी द्वारा शिकायत प्राप्त होने की दिनांक से 25 दिवस के अन्दर किया जावेगा :–

    (अ) मेसर्स तीर्थ एग्रो टेक्नॉलाजी प्रायवेट लिमिटेड, राजकोट द्वारा प्रदाय दिनांक से 2 वर्ष के अंतर्गत निशुल्क सेवा प्रदान की जावेगी।

11. **दरों की वैधता** : उपरोक्त दरें अनुबंध अनुसार 31 दिसम्बर 2024 तक वैध हैं।

संलग्न : उपरोक्तानुसार
(दर सूची)

3076
29-11-24

प्रबंधक (विपणन)
29/11/2024
निलिन भोलगांवकर
प्रबंधक (...)

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भेपाल की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
5. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छठवीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
6. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, अरेरा हिल्स, भोपाल।
7. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
8. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. विभागाध्यक्ष (समस्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
10. कम्प्यूटर कक्ष, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
11. **M/S TIRTH AGRO TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED,** Survey No. 108/1, Plot No. B, NH-27, Nr. Bharudi Toll Plaza, Bhunava (Village), Taluka Gondal, Distt. **RAJKOT** (GUJARAT)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

प्रबंधक (विपणन)
29.11.2024
निलिन भोलगांवकर
प्रबंधक (...)

MAKING AGRICULTURE MORE ECONOMICAL®

26/11/24

PRICE FOR MP AGRO

Yantra	Brand	Model	Specification	Basic Price	GST	Invoice Value	MP Agro NDP with 5% margin	GST	Final Selling Price
सुपर सीडर	Shaktiman	SSUS-7 GD	टाइन ओपनर की संख्या - 12 सीड मीटरिंग डिवाइस का प्रकार फ्लूटेड रोलर वजन (कि.ग्रा. में) - 1121 बॉक्स - 2	279700	33564	313264	293685	35242	328927

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

, Survey No.-108/1, Plot No. B, NH-27, Nr. Bharudi Toll Plaza,
Bhunava (Village), Taluka: Gondal, Dist.: Rajkot. State: Gujarat- INDIA, Pincode-360311
☎ +91 (02827) 234567, 270537 📠 +91 (02827) 270457
✉ info@shaktimanagro.com, 🌐 www.shaktimanagro.com, CIN: U72900GJ2000PTC 038435

@ Pune